भारत सरकार

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न सं. 3416

जिसका उत्तर 20.03.2025 को दिया जाना है

राष्ट्रीय राजमार्ग-66 पर कनेक्टिविटी

3416. श्री एन. के. प्रेमचन्द्रन:

क्या सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का राष्ट्रीय राजमार्गों को आपस में इस प्रकार से जोड़ना सुनिश्चित करने का विचार है कि संभार-तंत्र आसानी से उपलब्ध कराया जाए और यदि हां, तो इस पर क्या कार्रवाई की गई है;

(ख) क्या राष्ट्रीय राजमार्ग 183ए (एनएच-183ए) का भारनीकावु से राष्ट्रीय राजमार्ग 66 (एनएच-66) के टाइटेनियम जंक्शन तक विस्तार करने अथवा बढ़ाने का प्रस्ताव लंबित है और यदि हां, तो इस पर की गई कार्रवाई का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार का इंडियन रेअर अर्थ्स लिमिटेड (आईआरईएल), केरल मिनरल्स एंड मेटल्स लिमिटेड (केएमएमएल), नीन्दकारा पत्तन आदि से ढुलाई के संदर्भ में उक्त विस्तार की वाणिज्यिक व्यवहार्यता का पता लगाने का विचार है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) क्या सरकार को कोल्लम लोक सभा निर्वाचन क्षेत्र के संसद सदस्य (एमपी) से राष्ट्रीय राजमार्ग 183ए (एनएच-183ए) का भारनीकावु से राष्ट्रीय राजमार्ग 66 (एनएच-66) के टाइटेनियम जंक्शन तक विस्तार करने के लिए कोई अनुरोध प्राप्त हुआ है और यदि हां, तो इस पर क्या कार्रवाई की गई है?

उत्तर

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री

(श्री नितिन जयराम गडकरी)

(क) से (घ) राष्ट्रीय राजमार्गों (एनएच) का विकास और रखरखाव एक सतत प्रक्रिया है। तदनुसार, एनएच पर कार्य प्रारंभ किए जाते हैं ताकि एनएच को यातायात योग्य स्थिति में रखा जा सके, जो पारस्परिक प्राथमिकता, यातायात की सघनता और पीएम गति शक्ति राष्ट्रीय मास्टर प्लान के साथ तालमेल पर निर्भर करता है।

सरकार को कोल्लम लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र के माननीय सांसद से एनएच-183ए को भारनीकावु से एनएच-66 पर टाइटेनियम जंक्शन तक विस्तारित करने का प्रस्ताव प्राप्त हुआ है, जो वर्तमान में राष्ट्रीय राजमार्ग नहीं है।

सरकार को केरल राज्य सहित विभिन्न राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्रों से राष्ट्रीय राजमार्गों के विस्तार के प्रस्तावों सहित राज्यीय सड़कों को एनएच के रूप में घोषित करने/उन्नयन के प्रस्ताव प्राप्त होते रहते हैं। सरकार संपर्कता की आवश्यकता, पारस्परिक प्राथमिकता, यातायात की सघनता, संभार तंत्र (लॉजिस्टिक) लागत और यात्रा की दूरी को कम करने, सतत आर्थिक विकास के लक्ष्य को प्राप्त करने, सामरिक आवश्यकताओं और पीएम गति शक्ति राष्ट्रीय मास्टर प्लान (एनएमपी) के साथ तालमेल के आधार पर कुछ राज्यीय सड़कों को राष्ट्रीय राजमार्गों (एनएच) के रूप में घोषित/उन्नयन/विस्तार करने पर विचार करती है।

*****